न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2021/170

मिसल नम्बर– 27 / 2021

1.श्रीमती गीता देवी गोयल पत्नी नन्दकिशोर गोयल आयु 73 वर्ष जाति महाजन निवासी मकान नं0 107 गोयल निवास अग्रसेन बाजार, कोटा राज0

प्रार्थीया।

बनाम

1.कितेन्द्र गोयल पुत्र श्री नन्दकिशोर गोयल आयु 44 वर्ष मृतक (डिलीट)
2.सपना गोयल पत्नी कितेन्द्र गोयल आयु 42 वर्ष
3.शशांक गोयल पुत्र कितेन्द्र गोयल आयु 16 वर्ष नाबालिग
4.एशीका गोयल पुत्री कितेन्द्र गोयल आयु 10 वर्ष नाबालिग
जरिए पिता कितेन्द्र गोयल जाति महाजन निवासीगण मकान नं0 107 अग्रसेन बाजार कोटा राज0

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/12/24

उपस्थितिः–

1.श्री मनोज नामा अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री विद्या शंकर गोस्वामी अधिवक्ता अप्रार्थी।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान अग्रसेन बाजार कोटा में स्थित है जो कि प्रार्थिया ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.02.1975 को खरीद किया था जिसका विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कोटा के यहा पर रजिस्टर्ड नंबर 345 बुक सं0 1 वोल्यूम 284, पेज नं0 325 से 330 दिनांक 12.03.1975 पर पंजीबद्ध हो रहा है उक्त विक्रय पत्र से प्रार्थिया दूसरी मंजिल व तीसरी मंजिल की एक मात्र मालिक व काबिज चली आ रही है। अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थिया का पुत्र है अप्रार्थी नं0 2 पुत्रवधू एवं अप्रार्थी नं0 3 व 4 पौत्र व पौत्री है जो कि वर्तमान में प्रार्थिया के स्वामित्व वाले उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थिया की अनुमति से निवास कर रहे है अप्रार्थीगण के पास मकान की दूसरी मंजिल पर पूर्वी दिशा की ओर स्थित दो कमरे व तीसरी मंजिल पर पूर्वी दिशा की ओर स्थित बीच वाला कमरा है। प्रार्थिया ने अपने पुत्र अप्रार्थी नं0 1 का विवाह अप्रार्थी नं0 2 के साथ बड़ी धूम धाम से किया था विवाह के पश्चात 7–8 माह तक तो अप्रार्थी नं0 2 का व्यवहार प्रार्थिया के प्रति ठीक रहा किन्तु अप्रार्थी नं0 3 के जन्म लेने के पश्चात उसका व्यवहार बदल गया तथा आए दिन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थी नं0 2 प्रार्थिया के साथ गाली गलौच करती प्रार्थिया व उसके पति को झूठे मुकदमो में फसाने की धमकी देती इसी दुर्भावना से अप्रार्थी नं0 2 ने प्रार्थिया व उसके पति के विरूद्ध असत्य एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर 498 ए, 406 आईपीसी का झूठा मुकदमा महिला थाना कोटा में दर्ज करवा दिया गया जो कि जांच पश्चात प्रार्थिया व उसके पति के विरूद्ध झूठा पाया गया अप्राथी नं0 2 के उक्त आचरण व कूरता पूर्ण व्यवहार से प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति का सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करना असंभव हो गया है अप्रार्थी नं0 2 आए दिन झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर प्रार्थिया व उसके पति पर मानसिक दबाव डालकर संपूर्ण मकान को स्वयं हडप कर जाना चाहती है अप्रार्थी नं0 3 व 4 भी अपनी मां की बातो में आकर प्रार्थिया व उसके पति के साथ कूरतापूर्ण आचरण करते है किसी प्रकार का सम्मान नही करते तथा अप्रार्थी नं 2 के द्वारा अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्ध भी झूठे मुकदमें दर्ज करवाने के कारण उसका व्यवहार भी प्रार्थिया व उसके पति के प्रति अत्यधिक कूरतापूर्ण हो गया है और आए दिन गाली गलौच कर प्रार्थिया व उसके पति को ही मकान से निकाल देने की धमकी देता है। अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित मकान में स्थित नल बिजली की सुविधा का उपभोग कर रहे है लेकिन किसी भी प्रकार के नल बिजली के चार्जेज का भुगतान नही करते है प्रार्थिया जब भी अप्रार्थीगण से नल बिजली के बिल जमा करवाने की कहती है अप्रार्थीगण गाली गलौच कर झगड़ा करने पर आमादा हो जाते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया व उसके वृद्ध पति का जीवन नारकीय बना रखा है अप्रार्थीगण येन केन प्रकारेण प्रार्थिया को उसके स्वामित्व वाले मकान से निकाल कर संपूर्ण मकान पर स्वयं कब्जा करना चाहते है ऐसी अवस्था में प्रार्थिया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय के माध्यम से अपनी संपत्ति व जीवन की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त संपत्ति से बेदखली का आदेश प्राप्त कर उन्हे संपत्ति से बेदखल कर अपनी संपत्ति व जीवन की सुरक्षा कर सके। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण अप्रार्थीगण द्वारा निरन्तर प्रार्थिया के साथ कूरतापूर्ण आचरण कर संपत्ति को हडपने का प्रयास करने एवं दिनांक 09.04.2021 को तीसरी मंजिल पर स्थित एक रसोई पर जबरदस्ती ताला लगाने का प्रयास करने पर एवं लडाई झगड़ा करने पर उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया की संपत्ति व जीवन की सुरक्षार्थ हेतु प्रार्थिया के स्वामित्व के मकान वाके गोयल निवास मकान नं0 107 अग्रसेन बाजार रामपुरा कोटा से अप्रार्थीगण को बेदखल किए जाने का आदेश प्रदान करे तथा प्रार्थिया को व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षण व उक्त मकान की सुरक्षा निरन्तर रखते हुए अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के विरूद्ध अत्याचार करने पर पाबंद किए जाने व संरक्षण के आदेश पारित किए जावे आदेश की पालनार्थ हेतु थाना कोतवाली को तहरीर जारी कर पालनार्थ की रिपोर्ट मंगवायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित मकान नम्बर–107 गोयल निवास अग्रसेन बाजार में स्थित सम्पत्ति पूर्वजो की है उन्होने स्वयं ने अपनी स्वअर्जित कमाई से नही खरीदी है। प्रार्थी क्रम–1 का दिनांक 09.01.2022 को स्वर्गवास हो चुका है तत्पश्चात अप्रार्थी क्रम–1 की धर्म पत्नी सपना गोयल, पुत्र शशांक गोयल पुत्री एशीका निवास कर रहे है। जिसका उन्हे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। चूंकि अप्रार्थी क्रम–2 प्रार्थीया की पुत्रवधु है जिसके दो नाबालिग पुत्र व पुत्री भी है उनके पति व पिता श्री कितेद्र का स्वर्गवास हो चुका है उनकी मृत्यु उपरान्त अप्रार्थी क्रम–2 एवमं उनकी दोनो नाबालिक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

संताने अनार्थ हो गये है। यहा यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीया क्रम–2 पूर्णतया बैरोजगार है और अपने पति की मृत्यु के बाद उसने प्रार्थीया व उसके पति के विरूद्ध धारा–19(ए) एडोप्टेशन एवं मेन्टीनेन्स एक्ट के तहत भरण पोषण राशि को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक न्यायाधीश क्रम–1 कोटा में कार्यवाही कर रखी है। अप्रार्थीया क्रम 2 सदैव प्रार्थीया व उसके पति नन्दकिशोर जी की सेवा सुश्रुषा करती चली आ रही है किन्तु उसके बावजूद भी उसे आये दिन गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा व मारपीट करने व मकान से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त हेतु वह अपने मकान में निवासरत किरायेदारो को भी बर्गलाकर उनसे गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा कराते है प्रार्थीया व उसके पति के विरूद्ध कई बार अप्रार्थी क्रम–2 द्वारा लड़ाई झगड़े व गाली गंलोच के सम्बंध में थाना रामपुरा कोतवाली कोटा एवमं महिला थाना कोटा में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। किन्तु प्रार्थीया व उसका पति असरदार होने के कारण कोई कार्यवाही नही की गयी है। अप्रार्थी क्रम–1 की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थी क्रम–2 अनाथ बेसहारा असहाय हो गयी है। वह पूर्णतया बेरोजगार है। उसके पति की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया द्वारा व उसके पति नन्दकिशोर द्वारा उसको एक पैसे की भी सहायता प्रदान नही की जा रही है बलकि पैसो के अभाव में उसके दोनो नाबालिग पुत्र एवम् पुत्री दर–दर की ठोकरे खा रहे है और इच्छानुसार अच्छे स्कूल में पढ़ाई से वंचित है जबकि अप्रार्थी क्रम–1 (पति) की मृत्यु उपरान्त अप्रार्थी क्रम–2 की इच्छा अपने दोनो नाबालिग बच्चो को अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन व संस्कार दिलवाने की है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके किन्तु पैसो के अभाव में उसकी इच्छाये धुमिल हो चुकी है। अप्रार्थीया क्रम–2 व उसके दोनो नाबालिग पुत्र व पुत्री का अग्रसेन बाजार में स्थित मकान नम्बर 107 में संयुक्त रूप से मालिकाना स्वत्व है, चूंकि अप्रार्थीया क्रम–2 स्वर्गीय क्रितेन्द्र पुत्र श्री नन्दकिशेर गोयल की विवाहित धर्म पत्नी है और उसके दोनो नाबालिग पुत्र व पुत्री क्रितेन्द्र गोयल के नुत्फे से उत्पन्न संताने है जिन्हे अपने पिता की मृत्यु उपरान्त अपने दादा दादी से पुस्तेनी सम्पत्ति में हक व अधिकार लेने का पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त है इसलिये प्रार्थीया उक्त फोरी कार्यवाही के आधार पर अप्रार्थीया क्रम–2 एवम् उसकी नाबालिक संतानो का विवादित मकान से कानूनन बेदखल करने की अधिकारणी नही है और अप्रार्थीया क्रम–2 स्वयं बैरोजगार होने से उससे, प्रार्थीया से भरण पोषण राशि भी प्राप्त करने की अधिकारणी नही है। विवादित मकान पुस्तेनी जायदाद है जिसमें सभी परिवार के सदस्यों का समान रूप से हक व अधिकार निहित है। इसलिये अप्रार्थी क्रम–2 व उसकी संताने उक्त मकान में प्रार्थीया व उसके पति नन्दकिशोर से अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है और अप्रार्थीया क्रम–2 का आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व प्रार्थीया के पुत्र कितेन्द्र गोयल से विधिवत् विवाह सम्पन्न हुआ था तभी से वह अपने बच्चो के साथ उक्त मकान में शान्तिपूर्णत तरीके से निवास करती चली आ रही है। इसलिये प्रार्थीया को अप्रार्थी क्रम 2 व उसके नाबालिग बच्चो को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। विवादित मकान नम्बस 107 वाके अग्रसेन बाजार कोटा लम्बा चोड़ा मकन है व तीन मंजिला बना हुआ है जिसमे ग्राउण्ड फ्लोर पर 4 दुकाने किराये पद दे रखी है जिनकी किराये के रूप में हर माह मौटी राशि आती है, साथ ही ग्राउण्ड फ्लोर पर ही 5 भण्डार अन्य किराये पर दे सखे है जिनसे मौटी राशि पगड़ी के रूप में ले रखी है जिसका बैंक ब्याज भी हजारो रूपये मासिक से आता है। साथ ही इन भण्डारो का किराया भी हजारो रूपये मोटी रकम किराये के रूप में अतिरिक्त प्राप्त होती है तथा तीसरी मंजिल पर 4 किरायेदार निवास करते है जिससे मोटी राशि अतिरिक्त मासिक किराये की प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

होती है। साथ ही अप्रार्थीया की अग्रसेन चार खम्भा चोराहे पर एक स्वयं की जूस की दुकान संचालित है जिसकी मासिक इनकम लगभग मोटी अच्छी खासी राशि में प्राप्त होती है साथ ही इन्होने एक दुकान अभी हाल ही में बेचान की है जिसकी प्राप्त राशि पर एफ०डी० एवम् अन्य ब्याज राशियाँ द्वारा भी मोटी राशि प्राप्त होती है। जिससे अप्रार्थीया क्रम–2 व उसके बच्चो को भरण पोषण राशि आसानी दे सकते है। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यो पर गोर करते हुये आवश्यक है कि अप्रार्थीया क्रम–2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे तथा प्रार्थीया को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह अप्रार्थी क्रम–2 व उसके दोनो नाबालिग बच्चो को विवादित मकान से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे शान्तिपूर्ण निवास में व्यवधान उत्पन्न नही करे और प्रार्थीया अपने पुत्रवधु सपना गोयल को व उसके दोनो नाबालिग बच्चे को 70 हजार रूपये भरण पोषण राशि अदा करने हेतु आदेश प्रदान किया जावे जिससे नाबालिग बच्चो की शिक्षा दिक्षा व भरण पोषण सही तरीके से कर सके। प्रार्थीया व उसके पति नन्द किशोर गोयल द्वारा शिवाजी मार्केट स्थित एक दुकान को बैचने को आमादा है। जिसको कि अप्रार्थीया क्रम–2 व उसके नाबालिग पुत्र, पुत्रि के बालिग होने तक रोजगार हेतु आवश्यक समझा जाता है। तब तक प्रार्थीया व उसके पति नन्दकिशोर गोयल को पाबन्द किया जाये कि वह किसी भी प्रकार से मकान व दुकानो व गोदामो को बैचान नही करे ना ही स्वयं करे और नही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे तथा अप्रार्थी क्रम–2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लेम में वर्णित रिलीफ अप्रार्थी क्रम–2 को प्रदान किये जावे।

प्रार्थीया की ओर से अप्रार्थीगण के काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जिस मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में की गई है, वह पुश्तैनी सम्पत्ति न होकर प्रार्थीया की स्वयं की सम्पत्ति है, जो कि प्रार्थिया ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.02.1975 के माध्यम से क्रय की गई है। स्व अर्जित आय से क्रय की गई सम्पत्ति में अप्रार्थीगण का कोई विधिक अधिकार व हक नहीं है तथा प्रार्थिया को स्वअर्जित आय से क्रय की गई सम्पत्ति को अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। यदि वास्तव में अप्रार्थी क्रम 2 शांति पूर्ण तरीके से रह रही होती और उसका व्यवहार प्रार्थीया व उसके वृद्ध पति के प्रति सद्भाविक होता तो प्रार्थीया को उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अप्रार्थी क्रम 2 के द्वारा अनावश्यक रूप से झूठे एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर झूठी कार्यवाहीयां कर प्रार्थीया व उसके वृद्ध पति को इस वृद्धावस्था में न्यायालयों के चक्कर कटवा कर परेशान किया जा रहा है। प्रार्थीया व उसके वृद्ध पति के पास स्वयं के जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। मात्र किराये की आय जो कि मात्र 15000 रूपये के लगभग होती है, से ही जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है तथा मकान के नल बिजली के बिल भी प्रार्थीया व उसका पति ही जमा करवाते है, जूस की दुकान के संचालन का कथन असत्य है। वर्तमान में कोई जूस की दुकान संचालित नहीं की जा रही है। अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र लम्बित है, वह सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पुत्रवधू व पौत्र, पौत्री को दादा दादी से भरण पोषण दिलवाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थीया का पुत्र शशांक गोयल बालिग है तथा अप्रार्थीया स्वयं आगनबाड़ी में कार्यरत है, ब्यूटीपार्लर आदि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

का कार्य कर आय अर्जित कर रही है। अप्रार्थीया उक्त अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। प्रार्थिया की स्वअर्जित आय से क्रय की गई सम्पत्ति में अप्रार्थीया का कोई विधिक अधिकार नहीं है। तथा प्रार्थीया को अपनी सम्पत्ति का अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने व बेचान करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीया द्वारा काउन्टर क्लेम के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्रदान करने हेतु माननीय न्यायालय को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जो केवल वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान लागू करता है। ऐसी अवस्था में अप्रार्थीया का काउन्टर क्लेम विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीया द्वारा काउन्टर क्लेम के माध्यम से चाहा गये अनुतोष बाबत एक प्रार्थना पत्र पारिवारिक न्यायाधिश क्रम 1 कोटा के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। ऐसी अवस्था में भी अप्रार्थीया काउन्टर क्लेम के मध्यम से चाहा गया अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। अतः जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थिया का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जाकर प्रार्थिया द्वारा मूल प्रार्थना पत्र बेदखली बाबत चाहा गया अनुतोष प्रार्थीया को प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। प्राथीपक्ष की ओर से बहस में अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पति के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल करने का भी कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान नं0 107 गोयल निवास अग्रसेन बाजार, कोटा राज0 से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान नं0 107 गोयल निवास अग्रसेन बाजार, कोटा राज0 में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अप्रार्थीया की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया व उसके पति नन्दकिशोर गोयल को पाबन्द किया जाये कि वह किसी भी प्रकार से मकान व दुकानो व गोदामो को बैचान नही करे ना ही स्वयं करे और नही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये। अप्रार्थीया उक्त अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। प्रार्थिया की स्वअर्जित आय से क्रय की गई सम्पत्ति में अप्रार्थीया का कोई विधिक अधिकार नहीं है। तथा प्रार्थीया को अपनी सम्पत्ति का अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिको को भरण पोषण अधिनियम के जवाब में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर जो अनुतोष चाहा है वह अनुतोष अप्रार्थीया को काउन्टर क्लेम के माध्यम से इस प्रार्थना पत्र के स्तर पर नही दिलाया जा सकता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जो केवल वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान लागू करता है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ऐसी अवस्था में अप्रार्थीया का काउन्टर क्लेम विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत फर्द दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य दर्शित होता है कि अप्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र थानाधिकारी थाना रामपुरा कोतवाली को पेश किया गया। थानाधिकारी रामपुरा कोतवाली द्वारा शांतिभंग की सम्भावना होने पर इस्तगासा अन्तर्गत 107,116(3) सीआरपीसी माननीय न्यायालय ए0डी0एम0 सिटी कोटा में प्रस्तुत किया गया। उक्त के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभयपक्ष एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर शांतिभंग कर सकते है जिस कारण से उभयपक्ष को शांति बनाये रखने हेतु पाबंद करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः समस्त पक्षकारों को पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के निवास क्षेत्र में हस्तक्षेप नही करेगे एवं शांति बनाये रखेंगे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★